न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः—13/2021

1. धर्मवीर
2. चन्द्रभान पुत्रान नवाव जाति जाट निवासी नगला तेहरिया तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। .....प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनसिंह
2. उदसिंह
3. अजयसिंह पुत्रान मूलचन्द जाति जाट निवासी नगला तेहरिया तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। .....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थितिः—

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट।
2. श्री अशोक शर्मा एडवोकेट।

निर्णय **दिनांकः—26.05.2026**

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 192/0.12, 191/0.02 रकवा 14 विस्वा बाके ग्राम नगला तेहरियामाफी तहसील उच्चैन में स्थित है। विवादित आरजी खसरा नम्बर 191 के खातेदार श्रीराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 14 लगायात 20 है खातेदार मूलचन्द की मृत्यु हो चुकी है जिसके अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 विधिक वारिसान है खातेदार डालचन्द की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 व 5 है खातेदार किशनसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 21 है मृतक किशनसिंह के दो पुत्र नवाव, भरतसिंह थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उक्त मृतकों के वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 21 है। मृतक खातेदार गयालाल के विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 6 लगा0 8 है राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज उक्त मृतक खातेदारों के नाम चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में मृतक खातेदारों के वारिसानों के नाम इन्द्राज नहीं है इसलिए उनके विधिक वारिसान को मुकदमा हाजा में पक्षकार बनाया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 192 में वादी संख्या 1 हिस्सा 1/4 अप्रार्थीगण हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 हिस्सा 1/4 के सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है विवादित आराजी खसरा नम्बर 191 में राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है एवं उक्त विवादित आराजी पर मुताबिक राजस्व रिकार्ड के संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है लेकिन अब सम्मिलित कब्जा काश्त में आये दिन झगडे होते रहते है चुंकि दोनों विवादित आराजी गांव की आबादी के नजदीक होने के कारण वेशकीमती हो गई है इसलिए विवादित आराजी का मुताबिक राजस्व रिकार्ड के हिस्सा

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 191 के सहखातेदारान की मृत्यु हो चुकी है उक्त आराजी पर मृतक खातेदारों के स्थानप र उनके विधिक वारिसान का बैधानिक अधिकार है एवं विवादित आराजी पैत्रिक है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज मृतक खातेदारान पूर्वज के नाम दर्ज है इसलिए मृतकों के स्थान पर वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी से प्रार्थीगण को पूर्ण रूप से बेदखल करने पर उतारू है। उक्त आराजी आबादी के नजदीक होने के कारण बेशकीमती है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.06.2021 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 191 व 192 के उत्तरी दिशा में नींव खोदकर पुख्ता निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया अप्रार्थीगण ने पुख्ता निर्माण करने से मना किया तो अप्रार्थीगण झगडा करने पर उतारू हो गये एवं प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने एवं विवादित आराजी पर पुख्ता निर्माण कर कब्जा करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 192 रकवा 12 विस्वा में प्रतिवादी संख्या 13 का कोई भी हिस्सा नहीं है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 13 प्रतापसिंह पुत्र कल्याणसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 06.09.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 को विक्रय कर दिया है तथा इसका राजस्व रिकार्ड में अमल भी हो गया है इसी प्रकार उक्त आराजी खसरा नम्बर 192 का 1/2 हिस्सा दिनांक 06.05.1991 को उक्त आराजीयात के पूर्व खातेदार दौजी पुत्र दुर्गी जाति जाट निवासी नगला तेहरियांमाफी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पर अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 ने खरीद किया है जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल भी हो चुका है इस प्रकार अब राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से के एवं प्रार्थी संख्या 1 धर्मवीर 1/4 हिस्से के खातेदार व काबिज आराजी है तथा प्रार्थी संख्या 2 का उक्त आराजी खसरा नम्बर से कोई लेना देना नहीं है व खसरा नम्बर 191 में सभी खातेदारान अपने पूर्व के बटवारे के अनुसार काबिज हैं तथा खसरा नम्बर 192 में भी पूर्व के बंटवारे के अनुसार काबिज है। प्रार्थीगण ने यह दावा व प्रार्थना पत्र हम अप्रार्थीगण की आराजी को हडपने के लिए वेवजह पेश किया है। प्रार्थीगण के द्वारा जो दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें घोषणा की दादरसी चाही है जो बिल्कुल ही गैरकानूनी है क्योंकि जिन सह खातेदारों के विरूद्ध प्रार्थीगण ने दावा पेश किया है उन सहखातेदारान के पूर्वज व सहखातेदार कानूनी रूप से खातेदार हैं इसलिए उनकी मृत्यु के बाद स्वतः ही उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम आ जायेगी व प्रतिवादीगण स्वतः ही कानूनी रूप से उसमें सहखातेदार हैं इसलिए प्रार्थीगण ने यह दावा घोषणा की दादरसी व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा बाबत् पेश किया जो गलत है मेन्टेबिल नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने उक्त दावे में राजस्व रिकार्ड के मौजूदा सह खातेदार की मृत्यु होने के बाद न तो उन सहखातेदारान के मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है और ना ही उनके वारिसान के सजरा पेश किये है और नाही उनकी मृत्यु की दिनांक को अंकित किया है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा बनाये गये प्रतिवादीगण भी विधि के अनुसार गलत बनाये गये है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त दावा में डिक्लेरेशन व विभाजन की दादरसी चाही गई है

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

और प्रार्थीगण द्वारा जितने पक्षकार वादपत्र में बनाये है उतने ही पक्षकार उक्त प्रार्थना पत्र में बनाये जाना कानून आवश्यक है क्योंकि डिक्लेरेशन सभी पक्षकारों से चाहा जाना कानूनन आवश्यक है प्रार्थना पत्र मेन्टेबिल नहीं है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि चुकिं जमाबंदी में दर्ज खातेदारान की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र उनके वारिसान की ओर से पेश किया गया है एवं अन्य मृतक सहखातेदारान के विधिक वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज मृतक खातेदारान पूर्वज के नाम दर्ज है इसलिए मृतकों के स्थान पर वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है। चुकिं उक्त आराजी आबादी के नजदीक आ जाने के कारण कीमती हो गई है जिसके कारण उक्त आराजी पर आये दिन सहखातेदारन के मध्य झगडे होते रहते है अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर अपने हिस्से से अधिक आराजी पर बिना विभाजन कराये नींब खोदकर पक्का निर्माण करना चाहते है एवं विवादित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में सहखातेदान के जो हिस्से दर्ज किये है वह विल्कुल गलत बताये है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 13 अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा करा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकार्ड के मौजूदा सह खातेदार की मृत्यु होने के बाद न तो उन सहखातेदारान के मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है और ना ही उनके वारिसान के सजरा पेश किये है और नाही उनकी मृत्यु की दिनांक को अंकित किया है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा बनाये गये प्रतिवादीगण भी विधि के अनुसार गलत बनाये गये है। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में घोषणा की दादरसी चाही है जो बिल्कुल ही गैरकानूनी है क्योंकि जिन सह खातेदारों के विरूद्ध प्रार्थीगण ने दावा पेश किया है उन सहखातेदारान के पूर्वज व सहखातेदार कानूनी रूप से खातेदार हैं इसलिए उनकी मृत्यु के बाद स्वतः ही उक्त 'आराजी प्रतिवादीगण के नाम आ जायेगी व प्रतिवादीगण स्वतः ही कानूनी रूप से उसमें सहखातेदार हैं इसलिए प्रार्थीगण ने यह दावा घोषणा की दादरसी व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा बाबत् पेश किया जो गलत है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की जमीन को हडपने की गरज से पेश किया है जो कि मेन्टेबिल नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2071–2074, जबाव प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.05.1991 एवं दिनांक 06.09.2016 एवं जमाबंदी सम्बत् 2075–2078 का अवलोकन किया गया। हाल जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 282(192 पुराना) में प्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थीगण प्रत्येक समभाग 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार आराजी है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में सहखातेदारान के हिस्से मुताबिक जमाबंदी दर्ज

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

नहीं कराये है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में ऐसा कोई दस्ताबेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में बाधा कारित कर रहे हो उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में सहखातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर